पत्र सं0–13/मुक0–08–36/2024................../

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

गुंजन कुमार,

ईमेल अवर सचिव (प्रबंधन)।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, गोपालगंज।

पटना, दिनांक–

विषयः– जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन विभागान्तर्गत कार्यरत/सेवानिवृत कनीय अभियंता (मूल कोटि) के पदाधिकारियों/कर्मियों के द्वितीय एम0ए0सी0पी0 के रूप में प्रदत्त किये गये अधिकाई भुगतान की वसूली/समायोजन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–1359 दिनांक–02.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत कनीय अभियंता (सेवानिवृति की तिथि–30.06.2023), जल निस्सरण प्रमंडल, सिवान, जिनको द्वितीय एम0ए0सी0पी0 के रूप में की गयी अधिकाई भुगतान की वसूली का आदेश विभागीय पत्रांक–2471, दिनांक–02.07.2024 को सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–11591/2024 के वादियों के परिपेक्ष्य में विभागीय पत्रांक–506 दिनांक–05.02.2025 द्वारा स्थगित रखा गया है, के 41 दिनों के रूपांतरित अवकाश का भुगतान एवं सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता का भुगतान किस दर से किया जाय के संदर्भ में मार्गदर्शन की माँग की गयी थी।

उक्त के आलोक में श्री श्रीवास्तव के दिनांक 03.12.2022 से 12.01.2023 तक कुल 41 दिनों का रूपांतरित अवकाश का भुगतान पी0बी0–3 ग्रेड पे–5400 के अनुसार किये जाने का परामर्श आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा दिया गया है।

सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन

ह0/–
(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– पटना/दिनांक

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण अंचल, गोपालगंज/कार्यपालक अभियंता जल निस्सरण प्रमंडल, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक– 3596/ पटना/दिनांक 31.7.25

प्रतिलिपिः–कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ईमेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

30/7/25

अवर सचिव (प्रबंधन)।

##Letter-2025, Sec-13, Sys-2